


आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

13 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

:आदेश:

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (30प्र0अधि0 1 सन् 2017) की धारा 168 तथा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, मैं कमिश्नर, किसी छुटपुट कर्मकार को पारेषित मालों या किसी छुटपुट कर्मकार से प्राप्त मालों या किसी छुटपुट कर्मकार से अन्य छुटपुट कर्मकार को जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के दौरान भेजे गये मालों के सम्बंध में प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने की समय सीमा का 31 दिसम्बर 2017 तक विस्तार करता हूँ।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।